प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

3 Days Course on "Newly Enacted Major Criminal Acts"

(BNS, BNSS & BSA)

27-06-2024 से 29-06-2024

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 27-06-2024 से 29-06-2024 तक **"Newly Enacted Major Criminal Acts" (BNS, BNSS & BSA)** विषय पर **03** दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यू आरपीएस क्लास रूम में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान में विभिन्न जिलों से **43** प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिसमें 0**4** अति. पुलिस अधीक्षक 0**4** उप अधीक्षक, **06** पुलिस निरीक्षक, **29** उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी उपस्थित हुये।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन श्रीमती सुशीला यादव, सहायक निदेशक एंव सीसीसीआई, कोर्स निदेशक, आरपीए जयपुर ने कोर्स का शुभारम्भ किया गया। उसके बाद पंजीकरण किया गया ओर कोर्स विषय से सम्बन्धित प्रतिभागियों का एक औपचारिक प्री टेस्ट लिया गया। कोर्स में प्रथम दिन के प्रथम सत्र में श्रीमती सुशीला यादव, सहायक निदेशक एंव सीसीसीआई, कोर्स निदेशक, आरपीए जयपुर भारतीय न्याय सहिंता 2023, परिचय परिभाषा, नए कानूनों मे जोड़े गए, धाराएं, दंड पर विस्तार से बताया।

द्वितीय सत्र में श्री सुनील वशिष्ठ एडवोकेट. राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023, परिचय और परिवर्तन (परिवर्धन, विलोपन, विस्तृत अध्ययन) पर विस्तार से बताया। भारतीय न्याय सहिंता और भारतीय दंड सहिंता के बीच अध्यायवार तुलना पर अपने व्याख्यान दिया।

द्वितीय दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र श्री रमेश चौधरी पीओ, आरपीए, जयपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता- एक परिचय, परिभाषाएँ, धाराएँ जोड़ी गईं और निरस्त की गईं एवं बीएनएसएस और सीआरपीसी अध्याय वार तुलना (अध्याय 1 से 19) एवं (अध्याय 20 से 39) के बारे में विस्तार से बताया।

तृतीय एवं अन्तिम दिन के प्रथम सत्र में श्री आर. एस. शर्मा, एडी, एफएसएल (सेवानिव्रत) ने फोरेंसिक विज्ञान के नए आपराधिक कानूनों में महत्व, समय की आवश्यकता और चुनौतियाँ संबंधी व्याख्यान दिया।

द्वितीय सत्र श्री यतिंदर कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर, आरपीए ने साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। नव आपराधिक अधिनियमों में चुनौतियाँ पर व्याख्यान दिया। उसके बाद कोर्स में प्रतिभागियों से पांच दिवसीय पाठयक्रम का पोस्ट टेस्ट एवं फीड बैक लिया गया।

कोर्स के समापन में डा. भूपेन्द्र यादव, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आरपीए जयपुर एवं श्रीमती सुशीला यादव, सहायक निदेशक एंव सीसीसीआई, कोर्स निदेशक, आरपीए जयपुर ने कोर्स से सम्बन्धित नवीन धाराओं में संशोधन पर चर्चा की एवं चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। समापन सत्र के अन्त में सहायक कोर्स डायरेक्टर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

हस्ताक्षर
कोर्स निदेशक